

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी

18/11/22

पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. /
~~पत्रावली~~ हेतु समय चाह/वारते ~~पत्रावली~~
दिनांक 24/11/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

C/No. 376/2020 शिवजी - vs राधाकृष्ण

24.11.2022 पत्रावली पेश की वकील प्राम्नी उपरिक्त/
अप्राम्नी. 2 करला उपरि वकील
प्राम्नी द्वारा एम प्रापत्र वात्त शजीनामे
से मूल वाड के P.D हो जाने के कारण
प्रापत्र धारा 212 के खारिज किर्द जाने
बाबत पेश किया/ हमारे द्वारा पत्रावली
का अवलोकन किया गया/ उक्त प्रा.
पत्र के मूल वाड क्रमांक 375/2020
उक्तान शिवजी सनाम राधाकृष्ण के
सहमति पत्रों अनुमत् शजीनामे में
आपत्तिय डिक्री के आदेश हो चुके हैं
अतः अब इस प्रापत्र क्रमांक
376/2020 उक्तान शिवजी vs राधा-
कृष्ण अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. का
चलाने का कोई विधिगत औचित्य
नहीं है/ अतः प्रापत्र अन्तर्गत धारा
212 को उही स्तर पर निस्तारित
किया जाता है/ प्रापत्र फैसल
सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)